

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)

Government of *Uttarakhand*

Office of the District Collector *Rudraprayag*

No-----

Dated 02/06/2017

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **7.094** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of IRR Div PMGSY, Rudraprayag for the Construction of San To Bajyun (15.300 Km) in Rudraprayag district falls within jurisdiction of Bajyun village in Rudraprayag tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 7.094 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.2 to 30.3 annexure.....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl:- As above.



Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रपत्र 30.2

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT RUDRAPRAYAG (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss Mangal Gildyal I.A.S deputy commissioner Rudraprayag on dated 02/06/2017 at time 4:30 PM at Rudrapur in which application claiming rights in forest area measuring 7.094 hect for the construction of SAN TO BAJYUN forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Augustmuni sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Rudraprayag

Dated: 02/06/2017

Jyoti
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

परियोजना का नाम :-	जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सन से बज्यून मोटर मार्ग (लम्बाई 15.300 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।
--------------------	---

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, रुद्रप्रयाग

उपखण्ड अगस्तमुनि परिक्षेत्र के अर्न्तगत सन से बज्यून मोटर मार्ग (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 7.094 हे० सिविल एवं सोयम, 0.00 वन भूमि, शून्य हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 7.094 हे० वन भूमि) का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रुद्रप्रयाग) की दिनांक 17.05.17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक मुक्ता मिश्र, SDM (R), उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|
| 1- <u>कु. मुक्ता मिश्र</u> | उपजिलाधिकारी रुद्रप्रयाग | अध्यक्ष <u>[Signature]</u> |
| 2- श्री <u>गोपाल सिंह</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य <u>[Signature]</u> |
| 3- श्री <u>सुप्रीत अह</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य/सचिव <u>[Signature]</u> |
| 4- श्री <u>के. ल. मा. स. ए. नी</u> | बी०डी०सी० क्षेत्र <u>कु०डी० दानकोट</u> | सदस्य <u>[Signature]</u> |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत सन से बज्यून मोटर मार्ग परियोजना हेतु 7.094 हे० वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्तमुनि परिक्षेत्र के अर्न्तगत सन से बज्यून मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 7.094 हे० वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

[Signature]
उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन सभा
रुद्रप्रयाग वन सभा
क्षेत्र पंचायत सदस्य
18 कुण्डा दानकोट
जनपद-रुद्रप्रयाग

[Signature]
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- रुद्रप्रयाग
जनपद- रुद्रप्रयाग

[Signature]
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- रुद्रप्रयाग
जनपद- रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, [Signature] को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

[Signature]
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सन से बज्जूण मोटर मार्ग (लम्बाई 15.300 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम जाखणी
तहसील रुद्रप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के अर्न्तगत सन से बज्जूण मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 7.094 हे० सिविल एवं सोयम भूमि) का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

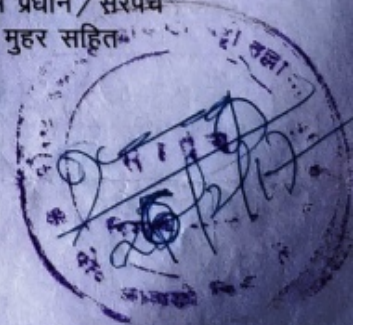
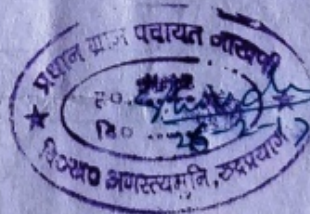
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जाखणी द्वारा दिनांक 26-2-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जाखणी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सुरपंच
मुहर सहित

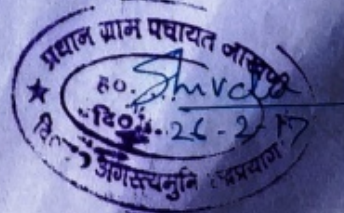


दिनांक 24/2/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रामचन्द्र सिंह	रामचन्द्र सिंह
2	श्रीमती सावित्री देवी	सावित्री देवी
3	सरदार सिंह	Sardar Singh
4	श्रीमती राजेश्वरी देवी	राजेश्वरी देवी
5	विपिन सिंह	विपिन सिंह
6	वीर सिंह	वीर सिंह
7	जीत सिंह	जीत सिंह
8	भरत सिंह	भरत सिंह
9	विनोद सिंह	विनोद सिंह
10	धाम सिंह	धाम सिंह
11	विक्रम सिंह	विक्रम सिंह
12	हिमाल सिंह	हिमाल सिंह
13	शिशुपाल सिंह	शिशुपाल सिंह
14	शिवराज सिंह	शिवराज सिंह
15	शील सिंह	शील सिंह
16	बाल सिंह	बाल सिंह
17	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
18	अशोक सिंह	अशोक सिंह

ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सन से बज्जूण मोटर मार्ग (लम्बाई 15.300 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम गोरणा

तहसील रुद्रप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के अर्न्तगत सन से बज्जूण मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 7.094 हे० सिविल एवं सोयम भूमि) का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

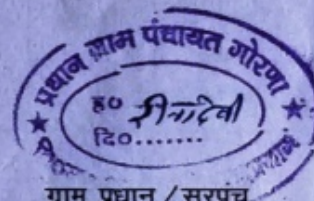
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गोरणा द्वारा दिनांक 20/11/2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गोरणा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
गोरणा

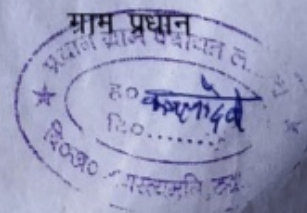


ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

दिनांक 20/11/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	अश्विनी/म समवाल	अश्विनी/म
2	कविश/म समवाल	कविश/म
3	गोपालदत्त समवाल	गोपालदत्त
4	शम्भू प्रसाद समवाल	शम्भू
5	सर्वेश्वर प्रसाद समवाल	सर्वेश्वर प्रसाद
6	चन्द्रमोहन समवाल	चन्द्रमोहन
7	गीता देवी	गीता देवी
8	गिरीश समवाल	गिरीश
9	जगदीश प्रसाद समवाल	जगदीश
10	सुबोध नौटियाल	सुबोध
11	बलराम नौटियाल	बलराम
12	श्रीमती रकादशी समवाल	रकादशी
13	संदीप समवाल	संदीप
14	प्रिलोचन प्रसाद नौटियाल	प्रिलोचन
15	भगवती प्रसाद नौटियाल	भगवती
16	श्रीमती पुष्पा देवी नौटियाल	पुष्पा
17	श्रीमती कुसुम पुरोहित	कुसुम पुरोहित
18	श्रीमती सुनीता समवाल	सुनीता समवाल



प्रपत्र 30.4

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सन से २०१५-१६ के बजट में बज्जून मोटर मार्ग (लम्बाई 29.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ————— हुंसी
तहसील रुद्रप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत सन से बज्जून मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 15.688 हे० सिविल एवं सोयम 0.500 वन भूमि, शून्य हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 16.188 हे० वन भूमि) का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत हुंसी द्वारा दिनांक 15/11/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

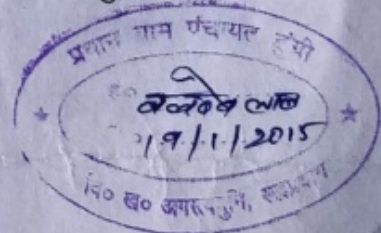
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम हुंसी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम पंचायत वि० अधिकारी
दिनांक 10/11/15
रुद्रप्रयाग

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित



प्रपत्र 30.5

दिनांक 15/11/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत हुंरी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	अनूप सिंह बुयोला	अनूप सिंह
2	उमेश सिंह बुयोला	उमेश सिंह
3	मदन सिंह बुयोला	मदन सिंह
4	भनोहर सिंह	भनोहर सिंह
5	गजेन्द्र सिंह	गजेन्द्र सिंह
6	गोत्रेन्द्र सिंह	गोत्रेन्द्र सिंह
7	हिम्मत सिंह	हिम्मत सिंह
8	रमेश सिंह	रमेश सिंह
9	विशाल सिंह	विशाल सिंह
10	वीर सिंह	वीर सिंह
11	रतन सिंह	रतन सिंह
12	सुरेन्द्र सिंह	सुरेन्द्र सिंह
13	भारत सिंह	भारत सिंह
14	लखवत सिंह	लखवत सिंह
15	लखमन सिंह	लखमन सिंह
16	रोशन लाल	रोशन लाल
17	राजू लाल	राजू लाल
18	प्रभा लाल	प्रभा लाल

ग्राम पंचायत हुंरी
80
ग्राम प्रधान 15/11/2018

प्रपत्र 30.4

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सन से बज्जुन मोटर मार्ग (लम्बाई ^{15.30}~~25.60~~ कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ————— धौलखरी, नेरदा, जाम्हाला (मेडा)
तहसील रुद्रप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत सन से बज्जुन मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 15.688 हे० सिविल एवं सोयम 0.500 वन भूमि, शून्य हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 16.188 हे० वन भूमि) का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) विभाग/संस्था के फल में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धौलखरी, नेरदा, जाम्हाला (मेडा) द्वारा दिनांक 20/7/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राक्खानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इससे अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

उच्च के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / फस्ताव पारित किया गया कि ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोज्य एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित



प्रपत्र 30.5

दिनांक 20/7/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत डीलवाड़ी, नरेडा, आगडाला, (कमेडा)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	पानसिंह 5/0 श्रीवास्तव	
2	गजपाल सिंह 5/0 मदन सिंह	
3	दागसिंह 5/0 सुभाष सिंह दागसिंह	
4	राजेश सिंह 5/0	
5	बलराज सिंह 5/0 भगवत सिंह	
6	प्रेमासिंह 5/0 दलीप सिंह	
7	नरेश सिंह 5/0 श्री श्री जशपाल	
8	शिवलाल सिंह 5/0 स्व. मुलासिंह	
9	अरत सिंह 5/0 स्व. लुई सिंह	
10	जसपाल सिंह 5/1 स्व. नरेश सिंह	
11	रुपजीत सिंह 5/1 स्व. दलसिंह	
12	हरेसिंह (5/1)	
13	देवदत्त सिंह	
14	सुनील सिंह	
15	गजपत सिंह	
16	अजयलाल	
17	दुर्गा-सिंह	
18	शिशुपाल सिंह	

शिवलाल सिंह

शिवलाल सिंह

ग्राम प्रधान

रंगवीर सिंह
आनन्द सिंह
दिनेश सिंह
अका देवी
सुभन राणा
कान्ता देवी
सुनीता देवी

सुदामा देवी
जीतपाल सिंह राणा
बलवीर सिंह
भाटेश्वरी देवी
सुदामा देवी
लक्ष्मी देवी
दशमी देवी
फिरन देवी
ब्रीमती देवी
कृष्णा देवी
संगीता देवी
संगीता देवी
सोलप सिंह
समोडा सिंह देवी
रामेश्वरी देवी

रंगवीर सिंह
रंगवीर सिंह

रंगवीर सिंह
आनन्द सिंह
अका
सुभन राणा
सुभन राणा
हरिश्च सिंह
वीरपाल सिंह
सुरेश्वर सिंह
बलवीर सिंह

धन सिंह
गजपाल सिंह
सुभाष सिंह
भवान सिंह
जगदीश सिंह
दयाल सिंह
उमेश सिंह
हर्षवर्धन सिंह
राजेश्वर सिंह
सोलप सिंह
बलवीर सिंह
कुन्दन सिंह

रंगवीर सिंह
रंगवीर सिंह



परियोजना का नाम	:- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सन से बज्यूण मोटर मार्ग (लम्बाई 15.300 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।
-----------------	--

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम लोदला
तहसील रुद्रप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

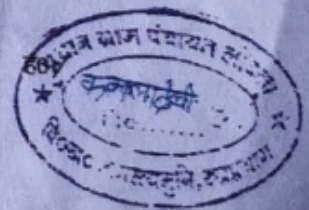
उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के अर्न्तगत सन से बज्यूण मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 7.094 हे० सिविल सोयम वन भूमि) का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत लोदला द्वारा दिनांक 20/11/16 को सम्पन्न ग्राम समा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जौला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

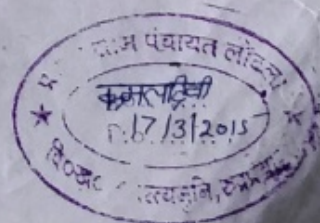
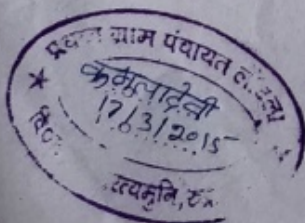
हो /
ग्राम सचिव



प्रपत्र -30.1

दिनांक 20/11/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत लोदला

क्र०सं०	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	श्री चन्द्रेश्वर नौटियाल	चन्द्रेश्वर नौटियाल
(2)	मनोरमा देवी नौटियाल	मनोरमा देवी
(3)	आशीष प्रताप नौटियाल	आशीष प्रताप
(4)	उमेश चंद्र नौटियाल	उमेश चंद्र
(5)	अनुराग नौटियाल	अनुराग
(6)	कृष्णमा देवी पुरोहित	कृष्णमा देवी
(7)	अदित्य राम सेमवाल	अदित्य राम
(8)	सर्वेश्वरी देवी सेमवाल	सर्वेश्वरी देवी
(9)	सुमित सेमवाल	सुमित
(10)	अमित सेमवाल	अमित
(11)	गोहरी प्रताप नौटियाल	गोहरी प्रताप
(12)	गीता देवी नौटियाल	गीता देवी
(13)	गीता राम सेमवाल	गीता राम
(14)	प्रेमादशी सेमवाल	प्रेमादशी
(15)	गौरव सेमवाल	गौरव
(16)	चंद्रमोहन सेमवाल	चंद्रमोहन
(17)	गुडी देवी सेमवाल	गुडी देवी
(18)	हेममोहन सेमवाल	हेममोहन
(19)	बिजू पुरोहित	बिजू
(20)	न्यूथ पुरोहित	न्यूथ
(21)	गोपाल सेमवाल	गोपाल
(22)	सुनीता देवी सेमवाल	सुनीता देवी



परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सन से बज्यूण मोटर मार्ग (लम्बाई 15.300 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चामक
तहसील रुद्रप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के अर्न्तगत सन से बज्यूण मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 7.094 हे० सिविल एवं सोयम भूमि) का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चामक द्वारा दिनांक 22/11/2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चामक के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

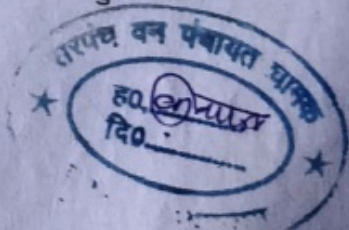
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित

[Handwritten signature and stamp]
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग



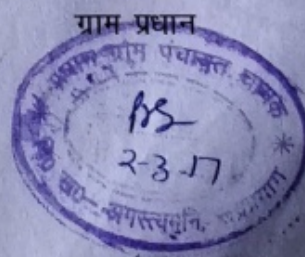
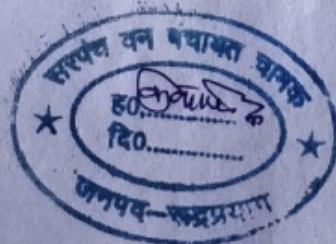
ग्राम प्रधान/सुरपंच
मुहर सहित



दिनांक 20/11/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री कुँवर सिंह नेगी	कुँवर सिंह नेगी
2	॥ परशुराम सैमवाल	PS
3	॥ सैतबखर-चमौला	सैतबखर
4	॥ विलेन्दु सिंह नेगी	विलेन्दु
5	॥ रामेबखर प्रसाद सैमवाल	रामेबखर
6	॥ नरोत्तम प्रसाद भट्ट	Narottam
7	॥ शम्भू प्रसाद सैमवाल	शम्भू प्रसाद
8	॥ श्रीकृष्ण भट्ट	श्रीकृष्ण
9	॥ राकेश-चन्द-चमौला	राकेश
10	॥ चन्द्रबोखर सैमवाल	चन्द्रबोखर
11	॥ वृजभोहन सैमवाल	वृजभोहन
12	श्रीमती मंगलादेवी नेगी	मंगलादेवी
13	॥ जैमी देवी	जैमी देवी
14	॥ सुशीला देवी सैमवाल	सुशीला देवी
15	श्री गिरीश-चन्द-चमौला	गिरीश-चमौला
16	॥ वीर सिंह कुशीला	वीर सिंह
17	॥ जीत सिंह कुशीला	जीत सिंह
18	॥ प्रकाश लाल	प्रकाश



परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सन से बज्यूण मोटर मार्ग (लम्बाई 15.300 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बज्यूण
तहसील रुद्रप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के अर्न्तगत सन से बज्यूण मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 7.094 हे० सिविल एवं सोयम भूमि) का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बज्यूण द्वारा दिनांक 24/11/2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बज्यूण के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग
24/11/2016

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित



दिनांक 28/11/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राजा देवी	राजा देवी
2	दीपा देवी	दीपा देवी
3	पुर्मिला देवी	पुर्मिला देवी
4	मेघा देवी	मेघा देवी
5	शुशीला देवी	शुशीला देवी
6	अनीता देवी	अनीता देवी
7	उर्मिला देवी	उर्मिला देवी
8	आशा देवी	आशा देवी
9	कस्तूरा देवी	कस्तूरा देवी
10	रंजनी देवी	Ranjani
11	जदेन्द्र सिंह	जदेन्द्र सिंह
12	केलाश सिंह	केलाश सिंह
13	सन्तन सिंह	सन्तन सिंह
14	भदेन्द्र सिंह	भदेन्द्र सिंह
15	पुष्पा सिंह	पुष्पा सिंह
16	सूरवीर सिंह	सूरवीर सिंह
17	शिवशरण सिंह	शिवशरण सिंह
18	जितेन्द्र सिंह	जितेन्द्र सिंह

ग्राम प्रधान

सत्यपंच
सुन पंच
जनपद
सुवर्कन सिंह

ग्राम - 06201



परियोजना का नाम :-	जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सन से बज्जूण मोटर मार्ग (लम्बाई 15.300 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।
--------------------	---

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम गढमिल
तहसील रुद्रप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के अर्न्तगत सन से बज्जूण मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 7.094 हे० सिविल सोयम वन भूमि) का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गढमिल द्वारा दिनांक 13/4/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जौला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित

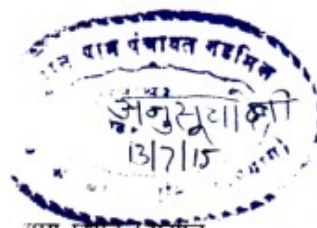


ग्राम प्रधान/सचिव
मुहर सहित

दिनांक 13/7/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत गढमिल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जगदीप सिंह रावत	
2	सुमुख सिंह	
3	पवन सिंह	
4	दिग्गज सिंह	
5	वीर सिंह	
6	शक्ति सिंह	
7	वृत्त सिंह	
8	गोपल सिंह	
9	शम्भू सिंह	
10	मन सिंह	
11	पुष्प सिंह	
12	मानवती देवी	
13	सरला देवी	
14	हरीश सिंह	
15	वीर सिंह	
16	देवेंद्र सिंह	
17	योगेश्वर सिंह	
18	लक्ष्मण	



ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित